

2021
435

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेश सोनी (RAS)

वादीनी

उनवान

प्रतिवादी उरण

येमी देवी यत्नी देवराज बनाम 1. पदमाराज पुत्र देवाराज

दावा बाबत v/s 88 RTA 2. लक्ष्मीनंदार पंचपदरा

मुकदमा नम्बर :- 187/2021

निर्णय दिनांक :- 29/10/2021

वादी की ओर से श्री येमी देवी यत्नी देवराज की व प्रतिवादी की ओर से पदमाराज व
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29/10/2021 को श्री नरेश सोनी नाम पीठासीन अधिकारी).....
उपखण्ड अधिकारी, के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और
डिक्री दी जाती है कि - वादी के वाद को स्वीकार कर मौजा श्रीमरलाई

स्थान के खाना संख्या 136 रकबा 66-19, खाना संख्या 3

रकबा 17-11, खाना संख्या 2 रकबा 85-14 व खाना संख्या 4 रकबा

66 बीघा वाद अस्त आरती में वादीनी का नाम येमी

देवी देवराज के स्थान पर येमी देवी यत्नी देवराज घोषित

किया जाता है। लक्ष्मीनंदार पंचपदरा नदानुसार राजस्व रेकर्ड

में समान दरजद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

(श्री नरेश सोनी)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,.....

